UPBJ240018142018

न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

उपस्थित–अखिल कुमार निझावन, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या : 452/2018

हरपाल सिंह आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र कन्हैया सिंह, नि0 ग्राम गुढ़ा, डाकखाना जटपुरा बौण्डा, पर0 व तह0 नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

....वादी

बनाम

1. श्रीमती निर्मला पत्नी
2. सोनू पुत्र
3. धर्मेन्द्र पुत्र

स्व0 दयाराम उर्फ दया

4. शीशराम पुत्र भवानी **(मृतक दौरान वाद)**

नि0 ग्राम गुढ़ा, पोस्ट जटपुरा बौण्डा, पर0 व तह0 नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

....प्रतिवादीगण

<u>नि र्ण य</u>

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दखल के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने वाद पत्र में संक्षेप में यह अभिकथन किया है कि वादी चकबन्दी के पहले से खाता सं0 119 खसरा सं0195 रकबई 3.549 हे0 स्थित ग्राम गुढ़ा, पर0 व तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर का सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर है। फूल सिंह व जागन सिंह वादी के भाई हैं और जो इसके अन्य सहखातेदार हैं। ग्राम गुढ़ा, पर0 व तह0 नजीबाबाद में चकबन्दी प्रक्रियाएं समाप्त

Digitally signed by AKHIL KUMAR NIJHAWAN
Date: 2022.03.31 15:39:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हो गई हैं तथा चकबंदी के दौरान वादी एवं वादी के भाईयों फूल सिंह व जागन सिंह की आराजी गाटा सं0 195 विभाजित हो गई है तथा वादी का नया गाटा सं0 508 रकबई 1.147 हे0 का बना है, जिसका वादी तन्हा तौर पर संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर है। वादी ने अपनी उपरोक्त आराजी में पूरब सामना मकान बनाया था। प्रतिवादीगण काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। उनके पास गांव में रहने का कोई मकान नहीं था। इस कारण अपने परिवार के रहने के लिए प्रतिवादिनी सं01 ने वादी से वादी के मकान में रहने की दि0 07.03.2014 को इजाजत मांगी। वादी ने प्रतिवादिनी सं01 को मकान में रहने की इजाजत दे दी थी। प्रतिवादीगण सं02 व 3 ने न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, नजीबाबाद में वाद सं0 187 अन्तर्गत धारा 21(1) जोत चकबंदी अधि0 ग्राम गुढ़ा, पर0 व तह0 नजीबाबाद जिला बिजनौर दायर किया, तब वादी को प्रतिवादीगण की नीयत का पता चला कि प्रतिवादीगण वादी के मकान को हड़पना चाहते हैं। वाद सं0 187 अन्तर्गत धारा 21(1) जोत चकबंदी अधि0 के अन्तर्गत दायर वाद में प्रतिवादीगण ने मांग की कि प्रतिवादीगण जिस मकान में रहते हैं, वह मकान खसरा नं0 195 में स्थित है। खसरा नं0 195 में प्रतिवादीगण को लगभग पौने तीन बीघे का चक बनाने की कृपा की जाए। उक्त वाद में आपत्तियों/अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद चकबंदी अधिकारी, नजीबाबाद ने प्रतिवादीगण का वाद निराधार होने के कारण निरस्त कर दिया। वादी ने आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवादीगण से मकान खाली करने के लिए कई बार कहा, किन्तु प्रतिवादीगण टाल–मटोल करते रहे। बावजूद तलब व तकाजा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान को खाली न करने पर वादी ने प्रतिवादीगण को उनके मकान में रहने की इजाजत समाप्त करने व मकान वादी के कब्जे में देने के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता द्वारा पंजीकृत नोटिस दि0 09.07.2018 को प्रतिवादीगण को दिलाया। वादी द्वारा दिया गया नोटिस प्रतिवादीगण को मिल गया। प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा दिए गए नोटिस का गलत व असत्य कथनों से जवाब नोटिस दि0 31.07.2018 को अपने अधिवक्ता द्वारा दिलाया, जिसका जवाबुल जवाब नोटिस वादी ने अपने अधिवक्ता द्वारा दि0 27.08.2018 को प्रतिवादीगण को दिलाया, जो प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को मिला। वादी द्वारा नोटिस दि0 09.07.2018 व जवाबुल जवाब नोटिस दि0 27.08.2018 प्रतिवादीगण को देने व मिलने के बावजूद प्रतिवादीगण वादी के मकान को खाली कर वादी के कब्जे में नहीं दे रहे हैं और आमादा

फौजदारी होते हैं। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर करने की आवश्यकता हुई।

उपरोक्त आधारों पर वादी द्वारा वादपत्र में यह याचना की गयी है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जाए कि न्यायालय द्वारा प्रदत्त अवधि में प्रतिवादीगण स्वयं के खर्चे पर वादपत्र के अन्त में वर्णित विवरण व सीमाओं वाले मकान को खाली कर मकान का वास्तविक कब्जा वादी को दे दें। अन्यथा प्रदत्त अवधि के बाद वादपत्र के अन्त में वर्णित विवरण व सीमाओं वाले मकान को न्यायालय के सिविल कोर्ट अमीन साहब द्वारा प्रतिवादीगण से खाली कराकर वादी के कब्जे में दिलाया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर कागज संख्या 17क प्रस्तुत करके वादपत्र के कथनों को अस्वीकार कर यह अतिरिक्त कथन किया गया कि वादी को कोई बिनाए दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है। दावा वादी कतन गलत वाकयात के साथ दायर किया गया है, जो कि खारिज होने योग्य है। वादी का अपने वादपत्र में यह तहरीर करना कि वादी की आराजी खाता सं0 119 खसरा सं0 195 ग्राम गुढ़ा में वादी ने पूरब सामना मकान बनाया था, प्रतिवादीगण के पास रहने के लिए मकान नहीं था, इस कारण अपने परिवार के रहने के लिए प्रतिवादिनी नं01 ने वादी के मकान में रहने के लिए दि0 07.03. 2014 को इजाजत मांगी जो वादी ने दे दी, आदि सभी तथ्य कतन गलत व झूठ हैं। वादी का अपने वादपत्र में यह तहरीर करना कि प्रतिवादीगण सं02 व 3 ने चकबंदी अधिकारी नजीबाबाद के न्यायालय में वाद दायर किया तो वादी को प्रतिवादीगण की नीयत का पता चला कि वो वादी का मकान हड़पना चाहते हैं, कतन गलत है। प्रतिवादीगण द्वारा दायर उक्त चकबन्दी का वाद कतन प्रश्नगत वाद उपरोक्त के मकान से सम्बन्धित नहीं है, जिसके निरस्त होने पर प्रतिवादीगण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वादी का यह तहरीर करना कि उसके द्वारा दि0 09.07.2018 को प्रतिवादीगण को दिए गए नोटिस से मकान में रहने की इजाजत समाप्त कर दी गयी है, इस सम्बन्ध में अर्ज करना है कि वादी के नोटिस में गलत चौहद्दी अंकित करके गलत तरीके से प्रतिवादीगण के मकान को अपना मकान दर्शाते हुए नोटिस दिया था, जिसका प्रतिवादीगण द्वारा सही जवाब दिया गया है। जिसका जवाबुल जवाब गलत तरीके से वादी द्वारा दिया गया। असल वाकयात इस प्रकार है कि वादी ने जिस मकान की बाबत

वाद उपरोक्त दायर किया है, वह मकान हरगिज खसरा नं0 195 में नहीं है, बल्कि प्रश्नगत मकान खसरा सं0 294/344 ग्राम गुढ़ा में स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण 30 वर्ष से अधिक से बिना किसी रोक–टोक के रिहाइश पजीर हैं। वादी अपनी आराजी खसरा सं0 195 की आड़ में प्रतिवादीगण के खसरा सं0 295/344 ग्राम गुढ़ा में बने प्रतिवादीगण के मकान पर अपना हक जमाने के उद्देश्य से अपने खसरा सं0 195 की आड़ में गलत चौहद्दी लिखते हुए प्रतिवादीगण के मकान पर कब्जा करना चाहता है, जिसका वादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने जिस मकान की चौहद्दी अपने वादपत्र में दर्शाई है, वह हरगिज खसरा नं0 195 में नहीं है, बल्कि प्रश्नगत मकान प्रतिवादीगण द्वारा करीब 30 वर्ष पूर्व बनाया गया है, जो कि खसरा सं0 295/344 ग्राम गुढ़ा में स्थित है। वादी को कोई अधिकार वाद दायर करने का नहीं है। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है, प्रश्नगत मकान की तख्मीनी कीमत मु0 5,00,000/– रूपए है। वादी द्वारा कोर्ट फीस कम अदा की गई है। तदनुसार दावा वादी खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत वाद में दि. 27.02.2020 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति का मालिक व काबिज है ?
2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?
3. क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या वादी को वाद कारक प्राप्त है ?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

वादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 7ग के माध्यम से 8ग प्रमाणित प्रति जोत चकबंदी आकार पत्र 23, 9ग प्रमाणित प्रति आदेश दि0 22.06. 2015 अन्तर्गत वाद सं0 187 धारा 21(1) जोत च0 अधि0 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, नजीबाबाद, जिला बिजनौर, 10ग रजिस्ट्री रसीद, 11ग कार्बन प्रति नोटिस दि0 09.07.2018 द्वारा वादी बनाम प्रतिवादीगण, 12ग एक्नॉलेजमेंट, 13ग जवाब नोटिस दि0 31.07.2018 द्वारा प्रतिवादीगण बनाम वादी, 14ग रजिस्ट्री रसीद, 15ग जवाबुल जवाब दि0 27.08.2018 द्वारा वादी बनाम प्रतिवादीगण एवं 16ग एक्नॉलेजमेंट प्रस्तुत की गई है।

मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से बतौर पी.डब्लू.1 स्वयं वादी हरपाल सिंह का शपथपत्र बतौर साक्ष्य कागज सं0 25क एवं बतौर पी.डब्लू.–2 सतपाल का शपथपत्र बतौर साक्ष्य कागज सं. 26क प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रतिवादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची ग–22/1 के माध्यम से ग–22/2 छाया प्रति आधार कार्ड धर्मेन्द्र, ग–24 छाया प्रति आधार कार्ड बिशम्बर सिंह, ग–26 छाया प्रति आधार कार्ड पीतम सिंह, ग–28 छाया प्रति आधार कार्ड राजपाल, ग–29 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा, ग–30 प्रमाणित प्रति जोत चकबंदी आकार पत्र 2क एवं ग–31 प्रमाणित प्रतिलिपि जोत चकबंदी आकारपत्र 23 दाखिल की गई है।

मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी की ओर से बतौर डी.डब्लू.–1 प्रतिवादी सं03 धर्मेन्द्र का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य कागज सं. 21क, बतौर डी.डब्लू.–2 बिशम्बर सिंह का शपथपत्र बतौर साक्ष्य कागज सं0 क–23, बतौर डी.डब्लू.–3 पीतम सिंह का शपथपत्र बतौर साक्ष्य कागज सं0 क–25 एवं बतौर डी.डब्लू.–4 राजपाल सिंह का शपथपत्र बतौर साक्ष्य कागज सं0 क–27 प्रस्तुत किया गया हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1 :–

वाद बिन्दु सं01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति का मालिक व काबिज है ?

उपरोक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रश्नगत आराजी में बने मकान से प्रतिवादीगण को बेदखल करने एवं कब्जा दिलाने की बाबत योजित किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी खसरा सं0 195 का संक्रमणीय भूमिधर है, जो चकबंदी पश्चात विभाजित होकर नया गाटा सं0 508 क्षेत्रफल 1.147 हे0 बना है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण का खसरा सं0 294/344 से चकबंदी पश्चात खसरा सं0 509 बना है, जिसके प्रतिवादीगण सह–भागीदार हैं। खसरा सं0 509 में 40 एयर आबादी

बनी तथा बचा हुए रकबे की वादी को अन्य स्थान पर भूमि दी ग ई थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है।

अपने वादपत्र के प्रस्तर सं02 में वादी ने स्पष्ट रूप से अपनी आराजी में पूरब सामना मकान बनाने का कथन किया है तथा प्रतिवादीगण का काम के सिलसिले में बाहर रहने के कारण प्रतिवादिनी सं01 को दि0 07.03.2014 को प्रश्नगत मकान में रहने की इजाजत देने का कथन किया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के इस कथन को अपने प्रतिवाद–पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से गलत व झूठा बताते हुए प्रश्नगत मकान को खसरा सं0 195 में न होकर प्रश्नगत खसरा सं0 294/344 में स्थित होने का कथन किया है। वादी के द्वारा दि0 09.07.2018 एवं 27.08.2018 को प्रतिवादीगण को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसपर उन्होंने वादी के मकान को खाली कर वादी के कब्जे में न देने के कारण उक्त वाद का कारण उत्पन्न हुआ। अपने प्रतिवाद–पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस प्राप्त करने एवं उस नोटिस का जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिए जाने का कथन किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त मकान के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है। वादी के द्वारा अपने शपथपत्र अन्तर्गत आदेश–18, नियम–4 सी.पी.सी. कागज सं0 क–25 में प्रश्नगत मकान का निर्माण वर्ष 2008 में किए जाने का कथन किया है, जिसमें एक कमरा व बरामदा होने का कथन किया गया है। जिसका समर्थन वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.–2 ने अपने शपथपत्र कागज सं0. क–26 में भी किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी.डब्लू.–1 व 2 ने विवादित मकान वर्ष 2008 में खसरा सं0 195, जो अब खसरा सं0 508 है, में बना होने की बाबत कथन किया है। वादी के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन भी स्पष्ट रूप से किया गया है कि विवादित मकान में प्रतिवादीगण वर्ष 2014 से रह रहे हैं, जिसका समर्थन पी.डब्लू.–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में करते हुए कहा है कि उक्त मकान में प्रतिवादीगण 7–8 वर्षों से रह रहे हैं। जिससे वादी की इस बात को बल मिलता है कि प्रतिवादीगण की रिहायश विवादित मकान में 7–8 वर्ष पूर्व से ही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद–पत्र के प्रस्तर सं017 में कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत मकान करीब 30 वर्ष पूर्व बनाया गया है, जो कि खसरा सं0 195 में न होकर खसरा सं0 294/344 ग्राम गुढ़ा में स्थित है। ज्ञात हो कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.–1 धर्मेन्द्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी

माताजी को वर्ष 2003 में सोनीपत से ग्राम गुढ़ा में आने का कथन किया है तथा इस साक्षी ने विवादित मकान का निर्माण वर्ष 2006 में किए जाने का कथन किया है। इस बिन्दु पर डी.डब्लू.–1 का समर्थन डी.डब्लू.–2, 3 व 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में किया है, जो कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद–पत्र के प्रस्तर सं017 में किए गए कथनों के बिल्कुल विरोधाभासी है। जिससे यह बात साबित होती है कि विवादित मकान प्रतिवादीगण की आराजी खसरा सं0 294/344 में स्थित न होकर वादी की आराजी खसरा सं0 195 में स्थित है। वादी के द्वारा सूची ग–7 के माध्यम से कागज सं0 9ग सत्य प्रतिलिपि निर्णय दि0 22.06.2015 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी नजीबाबाद भी दाखिल की गई है, जिसमें प्रस्तुत प्रकरण के प्रतिवादीगण द्वारा गाटा सं0 195 में अपना पक्का मकान बने होने तथा परिवार सहित निवास किए जाने का कथन किया है तथा चकबंदी न्यायालय से पौन बीघा आराजी का एक चक बनाने की याचना की गई थी, जिसपर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के वादी की ओर से दाखिल आपत्ति का निस्तारण करते हुए स्पष्ट रूप से अपने आदेश में यह अंकित किया गया कि गाटा सं0 195 में सोनू व धर्मेन्द्र पुत्रगण दया का नाम अंकित नहीं है। गाटा सं0 195 सोनू व धर्मेन्द्र का मूल गाटा नहीं है। गाटा सं0 195 में बने मकान को हरपाल द्वारा अपना बताया गया है तथा सोनू व धर्मेन्द्र द्वारा अपना बताया जा रहा है। गाटा सं0 195 में बने मकान में वादी व प्रतिवादी में विरोधाभास है। जिससे वादी का यह कथन साबित होता है कि यदि विवादित मकान खसरा सं0 294/344 में होता तो उसे भी प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल कागज सं0 ग–40 में वर्णित सम्पत्ति के समान चकबंदी से बाहर कर दिया गया होता। चकबंदी न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दिया गया कि गाटा सं0 195 में बने मकान को लेकर वादी व प्रतिवादीगण में विरोधाभास है। जबकि वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया है कि गाटा सं0 195 वादी का है। उससे प्रतिवादीगण का कोई मतलब वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा एक तरफ तो लगभग 30 वर्ष से अपनी रिहायश खसरा सं0 294/344 के 0.040 हे0 में होने का कथन किया गया है, जो कि चकबंदी न्यायालय द्वारा आबादी होने के कारण चकबंदी से बाहर कर दिया गया था। दूसरी तरफ उनके द्वारा विवादित मकान को खसरा सं0 294/344 का हिस्सा बताते हुए चकबंदी न्यायालय में वाद योजित किया गया,

जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि जिस मकान को लेकर विवाद है, वह खसरा सं0 294/344 में स्थित नहीं है, नही उस खसरा में बनी किसी रिहायश को लेकर उभय पक्षों के मध्य कोई विवाद है। डी.डब्लू–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में चकबंदी न्यायालय द्वारा विवादित मकान की आराजी को उसके व उसके भाईयों के नाम दर्ज होने का कथन किया है। जबकि पत्रावली पर चकबंदी न्यायालय का आदेश दाखिल है, जिसमें चकबंदी न्यायालय द्वारा खसरा सं0 195 में स्थित मकान को लेकर विरोधाभास अंकित करते हुए प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया था, जो कि उक्त बिन्दु पर प्रतिवादीगण के कथनों को अविश्वसनीय बनाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षित साक्षी डी.डब्लू.–2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि चकबंदी से पहले गाटा सं0 195 व 294/344 अलग–अलग नंबर थे तथा चकबंदी वालों ने गाटा सं0195 के बीच में गाटा सं0 294/344 को नहीं छोड़ा, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि खसरा सं0 195 में प्रतिवादीगण का कोई निर्माण व मकान इत्यादि निर्मित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि विवादित मकान खसरा सं0195, जिसका वादी स्वीकृत रूप से मालिक व काबिज है, में स्थित है।

तदनुसार वाद बिन्दु सं01 वादी के पक्ष में, प्रतिवादीगण के विरूद्ध **"सकारात्मक"** रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं02 व 3

वाद बिन्दु सं02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

वाद बिन्दु सं03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?

उक्त दोनों ही वाद बिन्दुओं का निस्तारण न्यायालय द्वारा दि. 23.11.2020 को किया जा चुका है। आदेश दि. 23.11.2020 इस निर्णय का अंश रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु सं04

वाद बिन्दु सं.4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी को वाद कारक प्राप्त नहीं है ?

उक्त वाद बिन्दु पर उभय पक्षों द्वारा कोई बल नहीं दिया गया। तदनुसार उक्त वाद बिन्दु वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध **"सकारात्मक"** रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं05

वाद बिन्दु सं.05 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

इस सम्बंध में वाद बिन्दु सं01 के निस्तारण से यह स्पष्ट है कि विवादित मकान खसरा सं0 195, जिसका स्वीकृत रूप से वादी मालिक काबिज है, में स्थित है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद वास्ते दखल आज्ञाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दखल आज्ञाप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर विवादित मकान स्थित ग्राम गुढ़ा, पर0 व तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर, जिसके पूरब रास्ता आम, पश्चिम शेष आराजी वादी, उत्तर शेष आराजी वादी, दक्षिण शेष आराजी मय बोरिंग वादी है, को खाली कर उसका कब्जा वादी को दे दें। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। तदनुसार बाद तैयार करने डिक्री पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अखिल कुमार निझावन)
दि0: 31–03–2022 सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी.–03212

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर सुनाया गया।

(अखिल कुमार निझावन)
दि0: 31–03–2022 सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी.–03212